उत्तर प्रदेश शासन
खाद्य एवं औषधि प्रशासन अनुभाग
संख्या– 83 /अठ्ठासी–10–129खा/08टी0सी0
लखनऊ:दिनांक 19 जनवरी, 2010

अधिसूचना

चूँकि राज्य में नकली, अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों के विनिर्माण एवं विक्रय और मिलावटी खाद्य पदार्थो की रोकथाम करने तथा ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (अधिनियम संख्या 23 सन् 1940) और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (अधिनियम संख्या 37 सन् 1954) और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधो को प्रभावी रूप में कियान्वित करने के उद्देश्य से कार्यालय ज्ञाप संख्या–3691/5–8–08–129विविध/01, दिनांक 25 सितम्बर, 2008 द्वारा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन एक पृथक खाद्य एवं ओषधि प्रशासन निदेशालय का गठन किया गया है और कार्यालय ज्ञाप संख्या–1897/20–1–ई–2009–603(47)/90टी0सी0–15, दिनांक 30 जुलाई, 2009 द्वारा चिकित्सा अनुभाग–8 को समाप्त करते हुए खाद्य एवं ओषधि नियंत्रण विभाग का गठन किया गया है।

2– साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा–21 के साथ पठित उपर्युक्त अधिनियम, 1954 की धारा 2 के खण्ड (8–क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस संबंध में जारी की गयी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अधिकमण करके राज्यपाल खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रयोजन के लिए नगर मजिस्ट्रेट, या यदि जिला में नगर मजिस्ट्रेट तैनात न हो तो जिला मुख्यालय में तैनात उप कलक्टरों में से, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट, उप कलक्टर को जिला हेतु स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी नियुक्त करते है।

आज्ञा से,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 83 (1)/अठ्ठासी–2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त गजट को आगामी अंक के असाधारण गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एस0के0द्विवेदी)
विशेष सचिव।